रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022024-251760 CG-DL-E-03022024-251760

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] No. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2024/माघ 13, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2024/MAGHA 13, 1945

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 फरवरी. 2024

सा.का.नि. 86(अ),—निम्नलिखित मसौदा नियमावली जिसे केंद्र सरकार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) की धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा संभवत: प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है. और नोटिस एतद्दारा दिया जाता है कि उक्त अधिसुचना के मसौदे के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा:

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, वरिष्ठ सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली-110016 को या akhilesh.g@nic.in और praveen@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं।

उक्त मसौदा नियमावली के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

मसौदा नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (मुख्य कार्यपालक अधिकारी की योग्यता, अनुभव, वेतन, भत्ता, और सेवा का अन्य निबंधन और शर्त) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

666 GI/2024 (1)

- (2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इस नियमावली में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) 'अधिनियम' से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 (2023 का 25) अभिप्रेत है;
 - (ख) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित शासी बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (2) जो शब्द और वाक्यांश इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वहीं अभिप्राय होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए नियत किए गए हैं।
- 3. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी के चयन की प्रक्रिया** (1) अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन निर्धारित योग्यता के आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का चयन और नियुक्ति करेगा।
 - (2) अध्यक्ष, यदि वह आवश्यक समझे, तलाशी-सह-चयन समिति का गठन करेगा और ऐसी समिति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल बनाने की सिफारिश करने का निर्देश देगा।
 - (3) तलाशी-सह-चयन समिति का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा नामित किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: —
 - (क) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार;
 - (ख) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ;
 - (ग) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार ; और
 - (घ) व्यावसायिक संगठन या उद्योग से शासी बोर्ड के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य.
- (4) तलाशी-सह-चयन समिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर संस्तुत किए जाने वाले नामों के पैनल में शामिल किए जाने के लिए व्यक्तियों का चयन करने की अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी।
- (5) तलाशी-सह-चयन समिति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर संस्तुत किए जाने वाले नामों के पैनल में शामिल किए जाने के लिए उपनियम (2) के अधीन दिए गए निर्देश की तारीख से साठ से अनिधक दिन की अविध के भीतर अध्यक्ष को अपनी सिफारिशे करेगी।
- 4. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी की योग्यता और अनुभव**. (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति के पास
 - (क) अनुसंधान, या नवोन्मेष, या प्रौद्योगिकी विकास के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ विज्ञान में निष्णात की डिग्री, या इंजीनियरी या चिकित्सा शास्त्र में स्नातक की डिग्री, या प्रबंधन में निष्णात की डिग्री.; और
 - (ख) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, या सरकारी या किसी कंपनी के शोध संस्थान या शोध प्रयोगशाला में संकाय सदस्य या विज्ञानी के पद पर या किसी कंपनी में विरष्ठ प्रबंधकीय स्तर पर कम से कम बीस वर्षों का अनुभव, जिसमें अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों या परियोजनाओं के प्रबंधन में पांच वर्षों का अनुभव शामिल है।
 - (2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति के लिए विचार किए गए व्यक्ति की आयु पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 5. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदावधि** प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्ति की तारीख से तीन साल की अवधि या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

बशर्ते कि सत्तर वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तब तक नहीं धारित करेगा जब तक अध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाएगा ।

- 6. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा शर्त** मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित वेतन और भक्ते की राशि का भुगतान किया जाएगा और वह नियम 9 और 10 के अधीन लाभ का पात्र भी होगा।
- 7. **छुट्टी** मुख्य कार्यपालक अधिकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुप्रयोज्य प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए अर्जित छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी के दौरान वेतन का भुगतान समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियमावली 40 द्वारा अभिशासित होगा।

- 8. **मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य** मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान का कुशल प्रशासन करने की होगी, और उसके पास प्रतिष्ठान के सभी मामलों में सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी।
- 9. **केंद्र सरकार के रिहायशी आवास का आवंटन (**1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सामान्य पूल में केंद्र सरकार के रिहायसी आवास के आवंटन के लिए उन्हीं शर्तों पर पात्र होंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होंगे ।
 - (2) प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसे उप-नियम (1) के अधीन आवास आवंटित नहीं किया गया है, शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा।
- 10. **केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना हकदारी** प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस संबंध में भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभों का हकदार होगा।
- 11. **यात्रा और दैनिक भत्ता** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारत के भीतर दौरे पर या स्थानांतरण पर, प्रतिष्ठान में कार्यारंभ करने या प्रतिष्ठान में अपनी पदावधि पूरी होने पर अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा सहित यात्रा भत्ता, व्यक्तिगत सामग्री के परिवहन का, दैनिक भत्ता और अन्य समान मामलों में भारत सरकार के सचिव के लिए लागू दर पर हकदार होगा।
- 12. विदेशों की आधिकारिक यात्राएँ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विदेशों में आधिकारिक यात्राएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के अनुमोदन से की जाएंगी और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।
- 13. ऐसे विषय जिनके संबंध में कोई उपबंध नहीं किया गया है प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा के निबंधन और शर्त संबंधी मामले, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, कार्य परिषद द्वारा केंद्र सरकार के विनिश्चयनार्थ अग्रेषित किए जाएंगे।
- 14. शिथिलन शक्ति जहाँ केन्द्रीय सरकार का मत है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा, प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संबंध में इस नियमावली के उपबंधों में से किसी उपबंध में छूट दे सकेगी।
- 15. **व्याख्या** यदि इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी कोई प्रश्न उठता होते हैं, तो उनका विनिश्चयन शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- 16. **किठनाई निराकरण** कार्यपालक परिषद समय-समय पर ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देश जारी कर सकती है जो इन नियमों के किसी भी उपबंध के कार्यकरण में किठनाई निराकरण के लिए आवश्यक हो।

[फा. सं. डीएसटी/एएनआरएफ/जेड-02/2023]

अखिलेश गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2024

G.S.R. 86(E).—The following draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 23 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty (30) days from the date of publication of the draft in the official Gazette;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Senior Adviser, Department of Science and Technology, Government of India, Technology Bhawan, New Delhi – 110016 or by e-mail at akhilesh.g@nic.in and praveen@nic.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Anusandhan National Research Foundation (qualifications, experience, salary, allowances, and other terms and conditions of service of Chief Executive Officer) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) 'Act' means the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 (25 of 2023);
 - (b) "President" means a president of the Governing Board referred to in clause (a) of sub-section (2) of section 5 of the Act:
 - (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
- **3. Procedure for selection of Chief Executive Officer.** (1) The President shall select and appoint the Chief Executive Officer based on the qualifications set forth under these rules.
 - (2) The President may, if he considers necessary, constitute a Search-cum-Selection Committee and make a reference to such Committee for recommendation of a panel of names for appointment of the Chief Executive Officer.
 - (3) The Search-cum-Selection Committee shall be chaired by an eminent person as nominated by the President, and shall comprise of the following Members, namely:—
 - (a) Principal Scientific Advisor to the Government of India;
 - (b) Secretary to the Government of India in the Department of Science and Technology;
 - (c) Secretary to the Government of India in the Department of Higher Education; and
 - (d) A Member of the Governing Board from business organisation or industry as nominated by the President.
 - (4) The Search-cum-Selection Committee shall devise its own procedure for selecting the persons for inclusion in the panel of names to be recommended as the Chief Executive Officer.
 - (5) The Search-cum-Selection Committee shall make its recommendations for inclusion in the panel of names to be recommended as the Chief Executive Officer, to the President within a period not exceeding sixty days, from the date of reference made under sub-rule (2).
- **4. Qualifications and Experience of Chief Executive Officer.** (1) A person being considered for appointment as Chief Executive Officer shall possess
 - (a) a masters' degree in science, or a bachelor's degree in engineering or medicine, or a masters' degree in management, with proven track record of research, or innovation, or technology development; and
 - (b) at least twenty years of experience as faculty or scientist in recognised national or international university, or research institution, or research laboratory of the Government or a company or at a senior managerial level in a company, including five years of experience in managing research and development programmes or projects.
 - (2) A person considered for appointment under sub-rule (1) shall not exceed sixty five years of age.
- **5. Term of office of Chief Executive Officer.** The Chief Executive Officer of the Foundation shall hold office for a period of three years from the date of appointment, or such other period as determined by the President, and shall be eligible for reappointment:

Provided that no person above the age of seventy years shall occupy the office of the Chief Executive Officer, unless otherwise determined by the President.

- **6.** Conditions of Service of Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall be paid a salary and allowances of such amount, as may be determined by the President, and shall also be eligible for benefits under rules 9 and 10.
- 7. Leave. The Chief Executive Officer shall be entitled to earned leave for every year of service as applicable to employees of the Central Government and the payment of salary during leave shall be governed by rule 40 of the

Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, as amended from time to time.

- **8.** Functions of Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer shall be responsible for the efficient administration of the Foundation, and shall have the powers of general superintendence, direction and control in respect of all matters of the Foundation.
- **9. Allotment of Central Government Residential Accommodation.** (1) The Chief Executive Officer shall be eligible for allotment of Central Government Residential Accommodation in the general pool on the same terms as are admissible to Central Government servants.
 - (2) In the event, the Chief Executive Officer of the Foundation who is not allotted accommodation under subrule (1), he shall be eligible for House Rent Allowance as determined by the Governing Board.
- **10. Entitlement to Central Government Health Scheme.** The Chief Executive Officer of the Foundation shall be entitled to the benefits of the Central Government Health Scheme on terms laid down by the Central Government of India in this behalf.
- 11. Traveling and daily allowances. The Chief Executive Officer, while on tour within India or on transfer, including the journey undertaken to join the Foundation or on the completion of their tenure with the Foundation to proceed to their home town, shall be entitled to the travelling allowance, daily allowance transportation of personal effects and other similar matters at the rate applicable to a Secretary to the Government of India.
- **12. Official visits abroad.** Official visits abroad by the Chief Executive Officer, shall be undertaken with approval of the Secretary, Department of Science and Technology, and shall be regulated as per the guidelines or instructions issued by the Central Government from time to time.
- 13. Matters with respect to which no provision has been made. Matters relating to the terms and conditions of service of the Chief Executive Officer of the Foundation, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Executive Council to the Central Government for its decision.
- **14. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to the Chief Executive Officer of the Foundation.
- **15. Interpretation.** If any queries relating to the implementation of these rules arise, they shall be decided by the Governing Board.
- **16. Removal of difficulties.** The Executive Council may from time to time issue such general or specific directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these rules.

[F. NO.DST/ANRF/Z-02/2023]

AKHILESH GUPTA, Sr. Advisor